छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-12

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019</u>

(माघ 29, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10, 12 से 14 एवं 17 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 11, 15 एवं 16 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री देवव्रत सिंह, यू.डी.मिंज एवं डॉ.प्रीतम राम अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह के स्थान पर श्री अजीत जोगी, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने-

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018) तथा

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजीत जोगी, सदस्य ने मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर जिले के अरपा नदी में कचरा और मलबा डम्प किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री गुलाब कमरो

(3) श्री रामकुमार यादव

(4) श्रीमती इन्दू बंजारे

(5) श्री मोहन मरकाम

6. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम(1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार दिनांक 26 फरवरी, 2019 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रविन्द्र चौबे,संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) का पुर:स्थापन किया ।

8. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या-28, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29, कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या-16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45 एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-75 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-29 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, सौरभ सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-13** पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री नारायण चंदेल, केशव प्रसाद चंद्रा, **मांग संख्या-14** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, डॉ.रेणु अजीत जोगी, श्री नारायण चंदेल, **मांग संख्या-16** पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-54** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-23 पर** सर्वश्री अजय चंद्राकर, ननकीराम कंवर, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा, सौरभ सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-40** पर श्री अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-45** पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, सौरभ सिंह एवं **मांग संख्या-75** पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चंद्राकर, अमरजीत भगत, नारायण चंदेल, प्रकाश शक्राजीत नायक, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती ममता चन्द्राकर, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, दीपक बैज, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, लालजीत सिंह राठिया, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, विनय कुमार भगत,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, कुंवर सिंह निषाद, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्री शिवरतन शर्मा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री किस्मतलाल नंद, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019 (माघ-30, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा